

[Authorised English Translation]

**HARYANA GOVERNMENT
FOOD & SUPPLIES DEPARTMENT****Notification**

The 11th November, 2014

No. G.S.R. 50/Const./Art.309/2014.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Food and Supplies Department Directorate (Group-C) Service Rules, 1982, namely:—

1. These rules may be called the Haryana Food and Supplies Department Directorate (Group-C) Service (Amendment) Rules, 2014.

2. In the Haryana Food and Supplies Department Directorate (Group-C) Service Rules, 1982, in Appendix B, under columns 3 and 4, for existing entries against serial number 9, the following entries shall be substituted, namely:—

3	4
“(i) Matric; (ii) Should have a light/heavy valid Driving License, atleast three years old; (iii) Should have passed the driving test, conducted by the Haryana Staff Selection Commission; (iv) Should not be colour blind ; (v) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or Higher education;	(i) Matric; (ii) Three years experience as Class-III/IV posts ; (iii) Should have a light/heavy valid Driving License as the case may be atleast three years old; (iv) Should have passed the driving test, conducted by the department ; (v) Should not be colour blind; (vi) Should not be more than 50 years of age ; (vii) Hindi or Sanskrit upto Matric standard or Higher education;”

HARDEEP KUMAR,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Food and Supplies Department.

हरियाणा सरकार
खाद्य तथा पूर्ति विभाग
अधिसूचना
दिनांक 11 नवम्बर, 2014

संख्या सांका०नि० 50/संवि०/अनु० 309/2014.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा खाद्य तथा पूर्ति विभाग निदेशालय (गुप-ग) सेवा नियम, 1982, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. ये नियम हरियाणा खाद्य तथा पूर्ति विभाग निदेशालय (गुप-ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2014, कहे जा सकते हैं:-
2. हरियाणा खाद्य तथा पूर्ति विभाग निदेशालय (गुप-ग) सेवा नियम, 1982 में परिशिष्ट ख में, खाना 3 तथा 4 के नीचे, कम संख्या 9 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

3	4
(i) मैट्रिक ;	(i) मैट्रिक;
(ii) कम-से-कम 3 वर्ष पुरानी वैध हल्का/भारी वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए ;	(ii) श्रेणी III/IV पदों पर तीन वर्ष का अनुभव;
(iii) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए ;	(iii) कम-से-कम 3 वर्ष पुरानी वैध हल्का/भारी वाहन चालन अनुज्ञप्ति, जैसी भी स्थिति हो, होनी चाहिए ;
(iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ;	(iv) विभाग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए;
(v) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;	(v) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ;
	(vi) पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए ;
	(vii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;”।

हरदीप कुमार,

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य तथा पूर्ति विभाग ।